न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री हनुमान सहाय मीना, आई.ए.एस.

अपील संख्याः 110/2011 एल.आर.एक्ट

श्रीमती भंवरी पुत्री केशाराम पत्नी फूसाराम जाति मेघवाल (चमार) निवासी कल्याणसर पुराना हाल निवासी बैजासर तहसील सरदारशहर जिला चूरु ।

अपीलान्ट

—बनाम—

1. जेठाराम पुत्र मूलाराम जाति मेघवाल निवासी गिंवरसर तहसील सुजानगढ़ ।
2. उमीदेवी पत्नी मेघाराम जाति मेघवाल निवासी कल्याणसर तहसील श्रीडॅगरगढ
3. कानाराम दत्तक पुत्र मेघाराम जाति मेघवाल निवासी कल्याणसर तहसील श्रीडॅगरगढ़ जिला बीकानेर ।
4. राजेश पुत्र मोहनराम जाति मेघवंशी निवासी आसरासर तहसील सुजानगढ ।
5. राजास्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर ।
6. ग्राम पंचायत ऊपनी तहसील श्रीडूंगरगढ जरिये सरपंच ।

रेस्पोन्डेन्ट्स

उपस्थित :—	श्री संजय गोयतान	अभिभाषक अपीलांट्
	श्री सुभाष सहू	राजकीय अभिभाषक
अनुपस्थित	श्री रामरतन गोदारा	अभिभाषक रेस्पोन्डेंट सं0 1ता4

निर्णय

दिनांकः 4.9.2018

1. राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ के निर्णय दिनांक 14.10.2011 जिसके द्वारा बैयनामा के इन्तकाल सं0 69 स्वीकृत दिनांक 10.8.67 के विरुध्द प्रस्तुत की गयी प्रथम अपील सं0 16/2011 अनवान श्रीमती भंवरी बनाम जेठाराम आदि मियाद बिन्दु पर खारिज की गयी, के विरुध्द अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी है ।
2. अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम कल्याणसर पुराना तहसील श्रीडूंगरगढ के विवादित खेत खसरा नं0 449 पुराना तादादी 55 बीघा (नये खसरा नं0 562, 563) व खसरा नं0 531 पुराना तादादी 34 बीघा 12 बिस्वा (नये खसरा नं0 663) तादादी कुल 89.12 बीघा भूमि नारायण पुत्र बेगा कौम चमार के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी । उक्त भूमि में से खातेदार नारायण द्वारा खेत खसरा नं0 449 तादादी 55 बीघा को जरिये पंजीकृत बैयनामा दिनाक 24.4.67 द्वारा मघाराम पुत्र चेतनराम व रेवन्तराम पुत्र लाधुराम मेघवाल को विक्रय किये जाने पर ग्राम पंचायत, ऊपनी द्वारा बैयनामा का इन्तकाल सं0 69 दिनांक 10.8.67 स्वीकृत किया गया । उक्त बैयनामा इन्तकाल सं0 69 दिनांक 10.8.1967 के विरुध्द अपीलान्ट द्वारा न्यायालय उपखण्ड

संभागीय आयुक्त बीकानेर

अधिकारी, श्रीडूँगरगढ के समक्ष प्रथम अपील सं0 16/2011 अनवान श्रीमती भंवरी बनाम जेठाराम वगैरह प्रस्तुत की गयी, जो निर्णय दिनांक 14.10.2011 द्वारा मियाद बिन्दु पर खारिज की गयी है। उपखण्ड न्यायालय श्रीडूंगरगरढ के उक्त निर्णय दिनांक 14.10.2011 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी है ।

3. उक्त द्वितीय अपील प्रस्तुत होने पर पक्षकारान के निमित सम्मन जारी किये गये एवम् अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब कर प्राप्त किया गया । रेस्पोन्डेंट सं0 1 ता 4 के अभिभाषक के नाम आवाज लगवाये जाने के बावजूद न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए । अतः अपील में अभिभाषक अपीलान्ट एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गयी ।

4. अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमो के बिन्दुओं को दोहराते हुए अपनी बहस में बताया कि ग्राम कल्याणपुरा पुराना तहसील श्रीडूंगरगढ के विवादित खेत खसरा नं0 449 पुराना तादादी 55 बीघा (नये खसरा नं0 562, 563 तादादी क्रमशः 6.9400 हैक्टेयर, 6.9700 हैक्टेयर) व खसरा नं0 531 पुराना तादादी 34 बीघा 12 बिस्वा (नये खसरा नं0 663 तदादी 8.7500 हैक्टेयर) कुल 89.12 बीघा भूमि अपीलान्ट के पिता केसा पुत्र पुरखा कौम चमार के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी । केसा का दिनांक 20.3.1965 को देहान्त हो जाने पर उसकी जायज वारिसान अपीलान्ट हुई, लेकिन केसाराम को लाऔलाद फौत बताकर नारायण पुत्र बेगाराम द्वारा अपीलान्ट के स्वर्गीय पिता केसाराम की सम्पूर्ण भूमि का विरास्तन इन्तकाल सं0 57 दिनांक 9.3.1967 ग्राम पंचायत, ऊपनी द्वारा अपने नाम स्वीकृत करवा लिया । तत्पश्चात उक्त भूमि में से खातेदार नारायण द्वारा खेत खसरा नं0 449 तादादी 55 बीघा भूमि को जरिये पंजीकृत बैयनामा दिनाक 24.4.67 द्वारा मघाराम पुत्र चेतनराम व रेवन्तराम पुत्र लाधुराम मेघवाल को विक्रय किये जाने पर ग्राम पंचायत, ऊपनी द्वारा बैयनामा का इन्तकाल सं0 69 दिनांक 10.8.67 स्वीकृत किया गया । उक्त बैयनामा इन्तकाल सं0 69 दिनांक 10.8.1967 के विरुध्द अपीलान्ट द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूँगरगढ के समक्ष दिनांक 22.9.2011 को प्रथम अपील सं0 16/2011 अनवान श्रीमती भंवरी बनाम जेठाराम वगैरह प्रस्तुत की गयी, जो निर्णय दिनांक 14.10.2011 द्वारा मियाद बिन्दु पर खारिज की गयी है। जिसमें अपील के साथ धारा–5 मियाद अधिनियम एवम् अन्य प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी पेश किया गया, जिन पर सुनवाई करते हुए दिनांक 10.8.67 से 17.4.2008 तक की 41 वर्ष के विलम्ब की छूट को उचित माना किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इन्तकाल सं0 69/10.8.67 स्वीकृत होने की प्रथम जानकारी दिनांक 14.4.2008 से अपील पेश होने की दिनांक 22.9.2011 तक अपील 3 वर्ष 5 माह विलम्ब से पेश होने के आधार पर प्रथम अपील को मियाद बिन्दु पर खारिज की गयी है । जबकि प्रकरण में उक्त बैयनामा

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

का इन्तकाल सं0 69 दिनांक 10.8.67 को स्वीकृत करने से पूर्व अपीलान्ट को नोटिस दिये बिना मघाराम पुत्र चेतनराम व रेवन्तराम पुत्र लाधुरांम मेघवाल के हक में स्वीकृत किया गया है, जो कि प्रारम्भ से शून्य है । यह कि नामान्तरकरण सं0 69 दिनांक 10.8.67 स्वीकृत होने के पश्चात विवादित भूमि के बाबत समय–समय पर निष्पादित किये गये विक्रय पत्रों के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन होने के कारण उन्हें अपील में बतौर रेस्पोन्डेंट पक्षकार बनाया गया है ।

5. अभिभाषक अपीलान्ट ने आगे अपनी बहस में बताया कि अपीलान्ट अपने ससुराल ग्राम बैजासर तहसील सरदारशहर में काफी वर्षो से निवास करती है । दिनांक 14.4.2008 को ग्राम कल्याणसर (पुराना) में जाकर अपने रिश्तेदार (भाई–बन्धु) से बातचीत करने पर बैयनामा का इन्तकाल सं0 69 दिनांक 10.8.67 की प्रथम बार जानकारी हुई तथा दिनांक 17.4.08 को नामान्तरकरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने पर दस्तावेज श्री भरतसिंह एडवोकेट को सुपुर्द करते हुए उन्हें वकील नियुक्त किया एवं इस विश्वास में रही कि उनके द्वारा सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जा चुकी है । परन्तु दिनांक 11.9.2011 को मालूम पड़ा कि अभिभाषक श्री भरतसिंह द्वारा इन्तकाल सं0 69 के विरुध्द उपखण्ड न्यायालय, श्रीडूंगरगढ़ में अभी तक अपील प्रस्तुत नहीं की गयी है, तब अपीलान्ट द्वारा शीघ्रता से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गयी । इस कारण प्रथम अपील में प्रस्तुत करने में हुई देंरी माफ किये जाने योग्य है । अपीलान्ट द्वारा प्रथम अपील पेश करने में 3 वर्ष 6 माह का विलम्ब के लिए भरतसिंह अभिभाषक की गलती रही है । विधि के सिध्दान्त अनुसार अधिवक्ता की गलती के कारण पक्षकार को दण्डित नहीं किया जा सकता है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रथम अपील को केवल मात्र मियाद के बिन्दु पर खारिज किया गया है । जहां कोई आदेश अवैध अथवा शून्य हो, वहां उसे किसी भी समय चुनौति दी जा सकती है । इसके अलावा देरी को माफ करने में लचीला रुख अपनाया जाना चाहिये । प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा विधि एवं तथ्य की भूल की गयी है । अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने कथन के समर्थन में आरआरटी 2002(1) पेज–257, आरआरटी 2001(2) पेज 969, आरआरटी 2010 (1) पेज 51, एआईआर 1988 Gujarat 48, 2009(2) आरआरटी 1053, 2010(1)आरजेटी 459, एआईआर 2007 एससी 1889, एआईआर 1982 Bombay 437 अवलोकनीय बताया एवम् अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.10.11 तथा ग्राम कल्याणसर की विवादित भूमि का बैयनामा इन्तकाल सं0 69 दिनांक 10.8.1967 को निरस्त कर विवादित भूमि के बाबत अपीलान्ट के नाम से नामान्तरकरण दर्ज करने के आदेश प्रदान करने हेतु निवेदन किया ।

6. अपील में विद्वान राजकीय अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में बताया कि ग्राम कल्याणसर पुराना तहसील श्रीडूंगरगढ के विवादित खेत खसरा नं0 449 पुराना

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

तादादी 55 बीघा (नये खसरा नं0 562, 563) व खसरा नं0 531 पुराना तादादी 34 बीघा 12 बिस्वा (नये खसरा नं0 663) तादादी कुल 89.12 बीघा भूमि नारायण पुत्र बेगा कौम चमार के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी । उक्त भूमि में से खातेदार नारायण द्वारा खेत खसरा नं0 449 तादादी 55 बीघा को जरिये पंजीकृत बैयनामा दिनाक 24.4.67 द्वारा मघाराम पुत्र चेतनराम व रेवन्तराम पुत्र लाधुराम मेघवाल को विक्रय किये जाने पर ग्राम पंचायत, ऊपनी द्वारा बैयनामा का इन्तकाल सं0 69 दिनांक 10.8.67 स्वीकृत किया गया । उक्त बैयनामा इन्तकाल सं0 69 दिनांक 10.8.67 के विरुध्द अपीलान्ट द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूँगरगढ के समक्ष दिनांक 22.9.2011 को प्रथम अपील सं0 16/2011 अनवान श्रीमती भंवरी बनाम जेठाराम 44 वर्ष पश्चात् प्रस्तुत की गयी, जो निर्णय दिनांक 14.10.2011 द्वारा मियाद बाहर होने के आधार पर खारिज की गयी है। उक्त नामान्तरकरण का अपीलान्टा को पूर्व से ही जानकारी है, क्योंकि अपीलान्ट द्वारा वर्ष 2008 से ही वादगत खेतों की घोषणात्मक अनुतोष व इन्तकाल सं0 69 को शून्य घोषित कराने के सम्बन्ध में उपखण्ड न्यायालय श्रीडूंगरगढ के समक्ष राजस्व वाद सं0 145/08 दिनांक 23.4.08 को अनवान भंवरीदेवी बनाम फूसाराम वगैरह जरिये अभिभाषक भरतसिंह द्वारा प्रस्तुत किया हुआ था, जिसमें अपीलान्ट का अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र सं0 97/08 निरस्त हुआ है । तत्पश्चात अपीलान्ट ने वादगत खेत को रिसीवरी में दिलवाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जो दिनांक 3.3.09 को खारिज हो चुका है । अपीलान्ट द्वारा उक्त सारी कार्यवाही भरतसिंह राठौड़ द्वारा की गयी है । ऐसी स्थिति में भरतसिंह राठौड़ एडवोकेट को दस्तावेज देना एवं उनके द्वारा इन्तकाल की अपील प्रस्तुत नहीं करना मनगढन्त लगता है । विवादित भूमि के सम्बन्ध में उपखण्ड न्यायालय में दावा संख्या 145/2008 विचाराधीन है, जिसमें अपीलान्ट द्वारा इन्तकाल सं0 69 को उक्त दावा में चैलेंज कर रखा है । प्रकरण में राजस्व दस्तावेज के अनुसार विवादित भूमि स्व. नारायण के नाम खातेदारी दर्ज रही है तथा नारायण द्वारा वादगत भूमि को आगे वर्ष 1967 में ही बेचान कर दिया गया जिसे 44 वर्ष व्यतीत हो चुका था तथा बेचान के आधार पर रेस्पोन्डेंट सं0 1 ता 4 खरीददार रिकॉर्ड में खातेदार दर्ज है । अपीलान्ट को उक्त प्रकरण के विवाद का ज्ञान पूर्व से ही है ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रथम अपील अपीलान्ट मियाद के बिन्दु पर उचित ही खारिज की गयी है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे ।

7. हमने अभिभाषक अपीलान्ट एवं राजकीय अभिभाषक की बहस को मध्यनजर रखते हुए उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । प्रकरण में उभय पक्ष की बहस के अनुसार न्यायालय का निष्कर्ष निम्नप्रकार है :-

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

ग्राम कल्याणसर पुराना तहसील श्रीडूंगरगढ के विवादित खेत खसरा नं0 449 पुराना तादादी 55 बीघा (नये खसरा नं0 562, 563) व खसरा नं0 531 पुराना तादादी 34 बीघा 12 बिस्वा (नये खसरा नं0 663) तादादी कुल 89.12 बीघा भूमि नारायण पुत्र बेगा कौम चमार के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी । उक्त भूमि में से खातेदार नारायण द्वारा खेत खसरा नं0 449 तादादी 55 बीघा भूमि को जरिये पंजीकृत बैयनामा दिनाक 24.4.67 द्वारा मघाराम पुत्र चेतनराम व रेवन्तराम पुत्र लाधुराम मेघवाल को विक्रय किये जाने पर ग्राम पंचायत, ऊपनी द्वारा बैयनामा का इन्तकाल सं0 69 दिनांक 10.8.67 स्वीकृत किया गया । उक्त बैयनामा इन्तकाल सं0 69 दिनांक 10.8.67 के विरुध्द अपीलान्ट द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूॅंगरगढ के समक्ष प्रथम अपील सं0 16/2011 अनवान श्रीमती भंवरी बनाम जेठाराम दिनांक 22.9.2011 को 44 वर्ष पश्चात् प्रस्तुत की गयी, जो निर्णय दिनांक 14.10.2011 द्वारा मियाद के बिन्दु पर खारिज की गयी है। मियाद के सम्बन्ध में अपीलान्ट का कथन है कि अपीलाधीन इन्तकाल संख्या 69 दिनांक 10.8.1967 की प्रथम बार जानकारी दिनांक 14.4.18 को होने पर दिनांक 17.4.08 को नामान्तरकरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त की गयी एवं दस्तावेज श्री भरतसिंह एडवोकेट को सुपुर्द करते हुए उन्हें वकील नियुक्त किया एवं इस विश्वास में रही कि उनके द्वारा सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जा चुकी है । परन्तु दिनांक 11.9.2011 को मालूम पड़ा कि अभिभाषक श्री भरतसिंह द्वारा इन्तकाल सं0 69 के विरुध्द उपखण्ड न्यायालय, श्रीडूंगरगढ़ में अभी तक अपील प्रस्तुत नहीं की गयी है, तब अपीलान्ट द्वारा शीघ्रता से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 22.9.11 प्रथम अपील प्रस्तुत की गयी । अपीलान्ट द्वारा अपीलाधीन इन्तकाल सं0 69 की प्रथम जानकारी दिनांक 14.4.08 से प्रथम अपील पेश करने की दिनांक 22.9.2011 तक 3 वर्ष 6 माह विलम्ब के लिए भरतसिंह अभिभाषक की गलती बताई गयी है, जबकि अपीलान्ट की ओर से श्री भरतसिंह अभिभाषक द्वारा दावा सं0 145/08, अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र सं0 97/08 एवं रिसीवर का प्रार्थना पत्र सं0 8/09 उपखण्ड न्यायालय श्री डूगरगढ में प्रस्तुत किये गये हैं । ऐसी स्थिति में भरतसिंह राठौड़ एडवोकेट को दस्तावेज देना एवं उनके द्वारा साढे तीन साल तक इन्तकाल की अपील प्रस्तुत नहीं करना मनगढन्त लगता है । हमारी विनम्र राय में अपीलान्ट की ओर से विरास्तन नामान्तरकरण सं0 69 दिनांक 10.8.1967 की प्रथम जानकारी होने के 3वर्ष 6 माह पश्चात उपखण्ड न्यायालय, श्रीडूंगरगढ के सक्षम प्रथम अपील दायर करने के सम्बन्ध में धारा–5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र में विलम्ब के जो कारण उल्लेखित किये हैं अथवा अधिवक्ता से उल्लेखित करवाये हैं, को किसी भी परिस्थिति में सन्तोषजनक नहीं माना जा सकता है । विलम्ब के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा यह मूलभूत सिध्दान्त प्रतिपादित किया गया है कि जब तक

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

अपीलार्थी पक्ष द्वारा अपील दायर करने के सम्बन्ध में की गयी देरी के सम्बन्ध में सत्य, विश्वसनीय एवं सन्तोषजनक कारण से अपीलीय न्यायालय को सन्तुष्ट नहीं कर दिया जाता है तब तक अपील दायर करने में की गयी देरी को कन्डोन नहीं किया जा सकता है ।

II. जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है, प्रकरण में राजस्व दस्तावेज के अनुसार खातेदार नारायण द्वारा खेत खसरा नं0 449 तादादी 55 बीघा भूमि को जरिये पंजीकृत बैयनामा दिनांक 24.4.67 को मघाराम पुत्र चेतनराम व रेवन्तराम पुत्र लाधुराम मेघवाल को विक्रय किये जाने पर ग्राम पंचायत, ऊपनी द्वारा बैयनामा का इन्तकाल सं0 69 दिनांक 10.8.67 स्वीकृत किया गया । प्रकरण अनुसार नारायण के द्वारा वादगत भूमि को वर्ष 1967 में ही बेचान कर दिया गया जिसे 51 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं तथा आगे बेचान के आधार पर रेस्पोन्डेंट सं0 1 ता 4 वादगत खेतों के खातेदार कृषक हैं । अपीलान्टा खातेदार केसाराम की पुत्री बता रही है एवम् उसके द्वारा वर्ष 2008 से ही वादगत खेतों की घोषणात्मक अनुतोष व इन्तकाल सं0 69 को शून्य घोषित कराने के सम्बन्ध में उपखण्ड न्यायालय श्रीडूंगरगढ के समक्ष दिनांक 23.4.08 को राजस्व वाद सं0 145/08 अनवान भंवरीदेवी बनाम फूसाराम वगैरह प्रस्तुत किया हुआ हैं । अपीलान्टा का स्वत्वाधिकार उक्त वाद की कार्यवाही के अन्तिम निर्णय पर ही तय हो सकता है ।

8. उपरोक्त विवेचन अनुसार हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी प्रथम अपील एवं मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में देरी को कण्डोन करने के जो कारण उल्लेखित किये हैं, वे सत्य, विश्वसनीय एवं सन्तोषजनक नहीं होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रथम अपील मियाद बिन्दु पर उचित ही खारिज की गयी है, जिसमें हम किसी भी प्रकार का परिवर्तन किया जाना उचित नहीं समझते हैं । अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा उपखण्ड न्यायालय, श्रीडूंगरगढ का अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.10.2011 यथावत रखा जाता है ।

9. तदनुसार अपील अपीलान्ट निर्णीत शुमार होकर नम्बर से कम हो । निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो । निर्णय आज दिनांक 4.9.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालाय में सुनाया गया ।

(हनुमान सहाय मीना)
सम्भागीय आयुक्त
बीकानर